

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक मई 03, 2023

!!□ आज दिनांक 03.05.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

***1.* “मिशन शक्ति अभियान” के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक ।**

***2.* महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई ।**

3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 108 वाहनों का चालान किया गया।

***4.* पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी । तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।**

5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 30 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

6. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। तथा 02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस अधिनियम में की गयी कार्यवाही ।

7.अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त इंदल राजभर पुत्र बीपत राजभर निवासी वार्ड न0-10 ढोढीला न0पा0 घुघली थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 पाउच टेड्रा पैक देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मुकुल वर्मा पुत्र स्व0 विरेन्द्र वर्मा निवासी बैकुण्ठपुर थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 टेड्रा पैक देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 218/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त पप्पू उर्फ सुरेन्द्र जायसवाल पुत्र शरदचन्द जायसवाल निवासी वार्ड न0-13 महेन्द्र नगर थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 पैकेट बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-132/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2.अभियुक्त विजय कानू पुत्र भगौती प्रसाद निवासी बैरवा बनकटवा टोला कड़जहिया थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-133/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 3.अभियुक्त दीपचन्द गौड़ पुत्र राजेन्द्र गौड़ निवासी बरगदवा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 50 शीशी देशी अवैद शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-134/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र इन्द्रजीत निवासी शिवपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 पैकेट देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-117/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नथई पुत्र परसु निवासी ग्राम कोरहगड्डी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-67/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया

8. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त तरंग चौधरी पुत्र नारद चौधरी निवासी विशुनपुर गबडुआ थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद चा0रि0 बरामद कर विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-निल/23 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

***9.कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-**

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1.पवन साहनी पुत्र विन्धेश्वरी साहनी निवासी पिपरा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 02 बोरी गेहू व एक अदद मोटर साईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 निल/23 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

10. यू0पी0 गैंगेस्टर अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1.शमजद पुत्र स्व0 इस्तेयाक निवासी नौका टोला वार्ड न0-04 थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज 2.सरफराज पुत्र स्व0 विस्मिल्लाह निवासी गढ़वा चौराहा सन्तकबीर नगर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर हाल पता नौका टोला वार्ड न0-04 शाहूजी नगर थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-169/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

11. विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-21 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

***12. जनपद में 02/03.05.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 31 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।**

13.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा ।